न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
261/2020	21.10.2020	12.06.2023

//उनवान//

1 फकीरा पुत्र प्रभाती जाति गुर्जर निवासी बेहरोज तहसील मुण्डावर, अलवर।

:— वादी

बनाम

1 मूलीया पुत्र जोखी(मृतक)

1/1 सन्नों पत्नि मूलीया(मृतक)

1/2 लीलाराम

1/3 माडाराम

1/4 रामपाल पुत्रान मूलीया

1/5 चन्द्रों देवी पुत्री मूलीया

1/6 कमला देवी बेवा सुखराम पुत्र वधु मूलीया

1/7 राजेश पुत्र सुखराम पौत्र मूलीया

1/8 खिल्लो पुत्री सुखराम पौत्री मूलीया

1/9 हंसो देवी पुत्री सुखराम पौत्री मूलीया

2 मुखराम पुत्र लीलाराम जातियान गुर्जर निवासीयान बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

3 राजू पुत्र सुखराम जाति गुर्जर निवासी बेहरोज तहसील मुण्डावर, अलवर(हजफ) ।

4 उपपंजीयक महोदय मुण्डावर, अलवर।

:— प्रतिवादीगण

दावा—इश्तकरारहक मय हु0ई0 दवामी।

उपस्थिति:—1 श्री जगन्नाथ यादव— वकील वादी
2 श्री गंगाराम पटेल — वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक—12.06.2023

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

आज यह पत्रावली बरूवे राजीनामा सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख0नं0 134 रकबा 8 बीघा (2.02 है0) वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर का वादी खातेदार काश्तकार है और मौके पर काश्तकार रहा है। वादी ने अपनी व अपने परिवार की रिहायश के लिए आराजी में पुख्ता मकानात बना रखे है तथा आराजी की सिंचाई के लिए ट्यूबबैल बौरिंग करके बना रखा है जो मौके पर चालू है विवादित आराजी कहलायेगी।

विवादित आराजी साबिक ख0नं0 52 मिन रकबा 2 बिस्वा, 57 मिन 3 बिस्वा, 60 मिन 7 बिस्वा, 61 मिन 7 बीघा 8 बिस्वा से पैमूद हुई है। आराजी साबिक ख0नं0 61/1 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा व 61/2 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर के मालीकान बिस्वेदारान उसमानखां, सुभानखां वगै0 मुसलमान थे जो सन् 1947 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये। वादी का पिता प्रभाती उपरोक्त आराजी को सम्वत् 1999 से मालीकान बिस्वेदारान की ओर से बेहसियत काश्तकार काश्त करता चला आ रहा था इसलिए वह गैर मौरूसी काश्तकार था और निष्क्रांत संपत्ति के संबंध मे भारत सरकार द्वारा घोषित एडमिनिष्ट्रेशन ऑफ इवैक्यी प्रोपर्टी एक्ट 1950 के प्रावधानों के अंतर्गत वादी का पिता प्रभाती उपरोक्त आराजी का प्री पार्टीशन टीनेन्ट माना गया तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 लागू होने के दिन वह टीनेन्ट था इसलिए उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गई। वादी के पिता प्रभाती की विरासत वादी को मिली है इसलिए वादी उपरोक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है काबिज है और मौके पर काश्त कर रहा है और अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। वादी का पिता प्रभाती विवादित आराजी के साबिक ख0नं0 61/1 रकबा 5.19 बीघा, 61/2 रकबा 1.16 बीघा को सम्वत् 1999 से लेकर अपने जीवनपर्यन्त काश्त करता रहा है और राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम का अंकन होता रहा हैं। जामबंदी सम्वत् 2015 में वादी के पिता के नाम के साथ प्रतिवादी मूलीया का नाम गलत जोड़ दिया गया था किन्तु कब्जाकाश्त वादी की ही अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2019 में आराजी ख0नं0 61/1 व 61/2 की बाबत प्रभाती पुत्र संपत गुर्जर साकिनदेह गैर मौरूसी बशरह मालकान मय मुनाफा कस्टोडियन ख0नं0 61/2 बशरह सदर खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020 लगायत 2023 में उपरोक्त जमाबंदी सम्वत् 2019 का अंकन का दस्तूर हे। सम्वत् 2023 में भूप्रबन्ध कार्य प्रारंभ होने के कारण ग्राम बेहरोज का राजस्व रिकॉर्ड भूप्रबन्ध विभाग ने प्राप्त कर लिया और भूप्रबन्ध कार्य सम्वत् 2029 में सम्पन्न हुआ है। भूप्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से साज–बाज होकर मिसल हकियत सम्वत् 2029 में प्रतिवादी मूलीया ने कृषक के खाना में वादी के नाम के पश्चात अपना नाम जुड़वा लिया जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानन है। भूप्रबन्ध अधिकारी को भूप्रबन्ध कार्य प्रारंभ होने पर जमाबंदी सम्वत् 2019 व खसरा गिरदावरी 2020 लगायत 2023 के अंकन को ही मिसल हकीयत में अंकित करना चाहिए था, किन्तु भूप्रबन्ध अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादी के नाम के साथ–साथ प्रतिवादी मूलीया का नाम भी अंकित कर दियाय इसलिए प्रतिवादी मूलीया का नाम हजफ कराकर मिसल हकीयत से ताहाल अंकन को वादी न्यायालय से दूरूस्त कराने का अधिकारी है। वास्तव में प्रतिवादी मूलीया ने विवादित आराजी को आजतक कभी काश्त नहीं किया ना ही आज तक कभी कब्जा रहा है ना ही आजतक उसका कब्जा रहा है। सम्वत् 2029 के आधार पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने उसके बाद जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदीयात 2032 ल0 2061 तैयार की उनमें भी प्रतिवादी मूलीया के नाम का अंकन वादी के नाम के साथ खिलाफ मौका व खिलाफ कानून कर दिया जिसके कायम रहने से वादी के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। जिसे हजफ कराने व राजस्व रिकॉर्ड के अंकन को दूरूस्त कराने का वादी अधिकारी है आदि–आदि अंकित करते हुए डिक्री इश्तकराहक बहक वादी पारित की जाकर हाल आराजी ख0नं0 134 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी मूलीया के नाम के आये अंकन को हजफ किया जाकर वादी का नाम तन्हा खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि वे वादी को बेदखल ना करे ना ही वादी की कब्जेकाश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करे ना ही आराजी को रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीगण जरिये अधिवकता हाजिर अदालत आये एवं मय वादी के विवादित आराजीयात के बाबत का राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक राजीनामा उक्त प्रकरण में हम पक्षकारान में राजीनामा हो गया है।

खण्डाधिकारी
वर (अलवर) राज०

मुताबिक राजीनामा आराजी ख0नं0 134 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर, अलवर में स्थित है उक्त आराजी अर्सा दराज से वादी के कब्जेकाश्त में चली आ रही है। मौके पर आज भी वादी ही काबिज है। राजीनामा के मुताबिक वादी को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र या एजराज नहीं है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरौकार नहीं है अंकित करते हुए राजीनामा तस्दीक कर मुताबिक राजीनामा वादी को आराजी ख0नं0 134 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। जमाबंदी सम्वत् 2078 की छायाप्रति संलग्न है अंकित कर उभयपक्षकारान द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित कर वकील वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पहचान की जाकर पेश होकर शामिल पत्रावली हुआ जिस पर उभयपक्षकारान स्वयं उपस्थित अदालत आकर राजीनामा की पुस्त पर एवं आदेशिका पर सहमति स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी किये जिनकी पहचान संबंधित अधिवक्ता ने की जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2061–2064, नकल मिलान क्षेत्रफल 2029, नकल जमाबंदी सम्वत् 2015 किता–3, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020 ल0 2023 एवं हाल जमाबंदी सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) पेश की जो शामिल पत्रावली है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए एवं प्रस्तुत दस्तावेजात बाबत वादी द्वारा वाद साबित कर दिये जाने का अभिकथन करते हुए उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने का निवेदन कर राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली होने का निवेदन करते हुए मुताबिक राजीनाम वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। इस हेतु वकील प्रतिवादी को भी सुना गया जिस पर वकील प्रतिवादी ने प्रस्तुत राजीनामे अनुसार वादी के वाद को डिक्री कर दिये जाने की सहमति व्यक्त की।

वकील उभयपक्षकारान की मुताबिक प्रस्तुत राजीनामा के अभिकथन की गई बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई, जिसके मुताबिक बरूवे राजीनामा वादी के वाद को डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात के बाबत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन रहा एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया जिसके मुताबिक विवादित आराजीयात साबिक ख0नं0 52 मिन रकबा 2 बिस्वा किस्म गैर मु0 पहाड, 57 मिन रकबा 3 बिस्वा किस्म गैर मु0 पहाड, 60 मिन रकबा 7 बिस्वा किस्म मटियार बारानी, 61 मिन रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा किस्म गैर मटियार डहरी बारानी से दौराने सैटलमेंट 2029 में नया ख0नं0 134 रकबा 8 बीघा पैमूद हुआ है तथा हाल सैटलमेंट आधार वर्ष सम्वत् 2078(वर्ष 2021) से साबिक ख0नं0 134 से हाल ख0नं0 152 रकबा 2.02 है0 पैमूद हुए है लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 के साबिक ख0न0 52 रकबा 2 बिस्वा एवं ख0न0 57 रकबा 3 बिस्वा के बाबत अपने वादपत्र के समर्थन में पृथक से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है एवं प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत् 2015 के अंकन अनुसार कॉलम नं0 4 में सुभानखां मजकूर व उसमानखां वगै0 मजकूर का अंकन होकर कॉलम नं0 5 में प्रभाती पुत्र सम्पत, मूलीया पुत्र जोखी संभाग गुर्जर साकिनदेह गैर मौरूसी साल 17 अमल बकाश्त प्रभाती पुत्र सम्पत गुर्जर साकिनदेह दोयम साल 4 गैर मौरूसी का अंकन है एवं प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020 ल0 2023 के कॉलम नं0 6 अनुसार प्रभाती पुत्र सम्पत गुर्जर साकिनदेह गैर मौरूसी बशरह मालकान मय मुनाफा कस्टोडियन का अंकन है। इस प्रकार से साबिक ख0न0 52 रकबा 2 बिस्वा तथा ख0न0 57 रकबा 3 बिस्वा के बाबत पृथक से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त साबिक ख0न0 52 एवं 57 किस्म गैर मुमकिन पहाड होकर प्रतिबंधित आराजी होने की स्थिति में खातेदारी अधिकारी दिया जाना विधिसम्मत नहीं होने के कारण व उपरोक्त विवेचन के आधार पर बरूवे राजीनामा एवं केवल साबिक ख0न0 60 मिन रकबा 7 बिस्वा, 61 मिन रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा

अधिकारी (अलवर) राज0

कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के बाबत महत्त्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से वादी द्वारा अपने वाद को साबित कर दिये जाने की स्थिति में वादी के वाद को यह न्यायालय आंशिक स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा केवल साबिक खसरा नम्बरान् 60 मिन रकबा 7 बिस्वा, 61 मिन रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के बाबत के वाद को ही सुसंगत दस्वावेजी साक्ष्य से साबित कर दिये जाने एवं बरूवे राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के आराजी ख0नं0 134 रकबा 8 बीघा जिसके हाल ख0नं0 152 रकबा 2.02 है0 में से 1.96 है0 वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे फकीरा पुत्र प्रभाती गुर्जर हिस्सा 1/2 एवं मूलीया पुत्र जोखी गुर्जर हिस्सा 1/2 साकिनदेह गैरखातेदार के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं इसके स्थान पर वादी फकीरा पुत्र प्रभाती को आराजी ख0न0 152 रकबा 1.96 है0 वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी रही होने की स्थिति में देय कस्टोडियन शुल्क की राशि वादी तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर में जमा करावे। जिस हेतु नियमानुसार कस्टोडियन राशि की गणना कर तहसीलदार मुण्डावर वादी से कस्टोडियन शुल्क प्राप्त कर जमा राजकोष कराये जाने उपरांत ही उपरोक्तानुसार वादी के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **12.06.2023**को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

12-06-2023

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0)
मुण्डावर अलवर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
261/2020	21.10.2020	12.06.2023

//उनवान//

1 फकीरा पुत्र प्रभाती जाति गुर्जर निवासी बेहरोज तहसील मुण्डावर, अलवर।

:– वादी

बनाम

1 मूलीया पुत्र जोरवी(मृतक)

1/1 सन्तो पत्नि मूलीया(मृतक)

1/2 लीलाराम

1/3 माडाराम

1/4 रामपाल पुत्रान मूलीया

1/5 चन्द्रो देवी पुत्री मूलीया

1/6 कमला देवी बेवा सुखराम पुत्र वधु मूलीया

1/7 राजेश पुत्र सुखराम पौत्र मूलीया

1/8 खिल्लो पुत्री सुखराम पौत्री मूलीया

1/9 हंसो देवी पुत्री सुखराम पौत्री मूलीया

2 मुखराम पुत्र लीलाराम जातियान गुर्जर निवासीयान बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

3 राजू पुत्र सुखराम जाति गुर्जर निवासी बेहरोज तहसील मुण्डावर, अलवर(हजफ) ।

4 उपपंजीयक महोदय मुण्डावर, अलवर।

:– प्रतिवादीगण

दावा–इश्तकरारहक मय हु0ई0 दवामी।

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से एडवोकेट श्री जगन्नाथ यादव एवं वकील प्रतिवादीगण की ओर से श्री गंगाराम **पटेलकी उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.06.2023को पंकज बडगूजर सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0), मुण्डावर के समक्ष पर्चा डिक्री जारी करने के लिए पेश होने पर, मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–**

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा केवल साबिक खसरा नम्बरान् 60 मिन रकबा 7 बिस्वा, 61 मिन रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के बाबत के वाद को ही सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर दिये जाने एवं बरूवे राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के आराजी ख0नं0 134 रकबा 8 बीघा जिसके हाल ख0नं0 152 रकबा 2.02

है0 में से 1.96 है0 वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे फकीरा पुत्र प्रभाती गुर्जर हिस्सा 1/2 एवं मूलीया पुत्र जोखी गुर्जर हिस्सा 1/2 साकिनदेह गैरखातेदार के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं इसके स्थान पर वादी फकीरा पुत्र प्रभाती को आराजी ख0न0 152 रकबा 1.96 है0 वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी रही होने की स्थिति में देय कस्टोडियन शुल्क की राशि वादी तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर में जमा करावे। जिस हेतु नियमानुसार कस्टोडियन राशि की गणना कर तहसीलदार मुण्डावर वादी से कस्टोडियन शुल्क प्राप्त कर जमा राजकोष कराये जाने उपरांत ही उपरोक्तानुसार वादी के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 12.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

12-06-2023

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0)
मुण्डावर अलवर